नदियों में प्रदूषण

157. **श्री सोमपाल :**
श्री शारदा महन्ती :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चार महत्वपूर्ण नदियों तथा यमुना, कृष्णा, हिन्डन और काली का जल कारखानों से मल-व्ययन के कारण अत्यन्त दूषित हो चुका है;

(ख) क्या सरकार ने इन नदियों के जल का विभिन्न स्थानों पर परीक्षण कराने और इनके प्रदूषण का स्तर और उसके कारणों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन नदियों में कारखानों से गिरने वाली ऐसी गंदगी को रोकने के लिए विशेषकर ऐसे कारखानों की सूची बनाने और उन्हें निदानात्मक कार्रवाई करने संबंधी आदेश देने आदि जैसे कुछ उपाय किए हैं; और

(ङ) ऐसे कारखानों के नाम और पते क्या-क्या हैं और उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी हां, ये नदियां कुछ क्षेत्रों में प्रदूषित हैं।

(ख) एवं (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित केन्द्रों पर इन नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। जल गुणवत्ता निगरानी के परिणामों से इस बात का पता चला है कि घरेलू एवं औद्योगिक स्त्रोतों से होने वाले अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित निस्सरण प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।

(घ) और (ङ) उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित मामले, जन हित के मुकदमें सिविल रिट पेटीशन रिट पेटीशन सं० 3727/85, श्री एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार के अन्तर्गत, माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत के विचाराधीन हैं।

ध्वनि प्रदूषण

158. **श्री शारदा महन्ती :**
श्री सोमपाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाउड-स्पीकरों के अत्यधिक उपयोग के कारण शोर-शराबे का स्तर न केवल बड़े शहरों में अपितु छोटे कस्बों और गांवों में भी बढ़ गया है तथा इसके परिणामस्वरूप लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार धार्मिक स्थलों, समागमों और जनसभाओं में लाउड-स्पीकरों के प्रयोग पर स्थान और समय संबंधी कोई प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी, हां। अत्यधिक शोर से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, जयपुर, बगलौर मद्रास, कानपुर और हैदराबाद के आवासीय व्यापारिक, औद्योगिक और अन्य संवेदन शील क्षेत्रों के परिवेशी शोर स्तरों का अध्ययन किया है। सभी नगरों के अधिकांश आवासीय, व्यापारिक और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में दिन और रात दोनों में औसत शोर स्तर निर्धारित मानकों से अधिक थे, कलकत्ता और बंगलौर के औद्योगिक क्षेत्रों में यह स्तर दिन में मानकों से अधिक था।

(ग) ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार से हैं:-

- शोर प्रदूषण को संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 में शामिल किया गया है। वायु अधिनियम और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के तहत विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों के बारे में शोर संबंधी परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। आटोमोबाइल्स, घरेलू उपकरण तथा विनिर्माण स्तर पर निर्माण उपस्करों के लिए भी शोर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। आटोमोबाइल्स के लिए शोर की सीमाओं को 1992 तक पूरा किया जाना था जबकि उपकरणों और उपस्कर के लिए शोर सीमाओं को 1993 तक पूरा किया जाना था।
- अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों, न्यायालयों आदि के 'शांति वाले क्षेत्रों' के समीप हार्नों/सायरनों और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्रालय ने राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और आटोमोबाइलों से इतर स्रोतों के शोर को नियंत्रित करने के लिए पद्धति-कोड बनाए हैं। इनमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वायुयान प्रचालन, रेल प्रचालन, निर्माण गतिविधियां और पटाखों का फटना आते हैं। इसको सभी राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि व सैगत स्थानीय अधिनियमों के हतत इन पद्धति-कोडों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों को सलाह दें।
- आटोमोबाइल्स, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के लिए शोर सीमाएं अधिसूचित कर दी गई हैं।
- जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(घ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह स्थानीय प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Air and water pollution in Orissa

159. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government has identified the industrial units in the State of Orissa which are prone to air and water pollution;

(b) if so, the details of such unit, district-wise;

(c) the action initiated against such units so far; and

(d) the details of the steps taken to curb polluton by those units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.